प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1.	2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	र थानाः– सीपीएस एर	ीबी जयपुर [्] वर्ष	2022
	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 🔑 🗸 🗸 🗘	दिनांक. <u>09</u> -	04-2022	
2.	2. (1) अधिनियम पी०सी०एक्ट धारा : 7 भ्र	ष्टाचार निवारण(संशोध	त्रन) अधिनियम्	2018
	(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता			
	(3) अधिनियम	धाराये :		
	(4) अन्य अधिनियम व धाराये :			
3.	(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या	2	яни <i>//; / 5</i>	B
	(ब) अपराध के घटने का दिन :- दिनांक 0	8.04.2022 समय 10.	37 ए.एम.	
	(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक सचना की किस्स क्रमणनार्य	07.04.2022 समय	।.20 पी 0एम0	
4.	सूचना की किस्म :- कम्प्युटराईज्ड	1997年 - 1997年 - 1997年 - 1997年 1997年 - 1997年		20121
5.	घटनास्थल :			
	(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- चौकी	से बदिशा उत्तर क	रीबन 01 किलो	मीटर
	(ब) पता:- आरोपी का पुलिस लाईन बा	डमेर स्थित आवासीय	क्वाटर के साम	ाने 🖟
	(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा व	No.		
6.	परिवादी / सूचनाकर्ता			
	(27)	1987년 - 12 - 왕조리 - 42 .3		
	(ब) पिता का नाम :- श्री सोनाराम			
	(स) जन्मतिथि / वर्ष :- उम्र 25 वर्ष		All the state of t	
	(द) राष्ट्रीयता :- भारतीय			
	(य) पाटपोर्ट संख्या :	जारी होने क	ते तिशी	
	(र) व्यवसाय :– खेती			
	(ल) पता :- निवासी बानो का तला, हाथमा f	जेला बाडमेर।		
7.	ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशि			
	श्री रावताराम पुत्र श्री गुजाराम जाति जातः	उस ४८ वर्ष भेजन -	री निवासी बेरीना	टी गाउ
	ं '' '' प्राप् अपगाति तहसाल गिद्धा तन	मान निवासी उत्पन्न	4 59	.1.
	पुलिस लाईन बाड़मेर हाल भू-अभिलेख निरीक्ष मण्डल देरासर तहसील रामसर जिला बाड़मेर परिवादी / सचनाकर्ता द्वारा इतला हेने में किस्स			一つました 1種である 点
8.	परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्	व का कारण:— कोई =	9764 व 9413755 हीं।	960
9.	चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :			
10.	युराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :	ट्रेप राशि 4400 रुपर	ो	
11.	पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो)			
12.	विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट			
		***************************************		/

सेवामे

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर।

विषय:- रिश्वत लेते वाले को रंगे हाथो पकडवाने बाबत्।

महोदय.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मै प्रार्थी चुतराराम पुत्र सोनाराम उम्र 25 वर्ष निवासी बानो का तला का रहने वाला हूँ हम आठ भाईयो एवं मेरी माता के नाम से ग्राम बानों का तला में कृषि भूमि अलग अलग नाम से आई हुई है। इस वर्ष सरकार द्वारा अकाल घोषित किया गया है। जिसमें प्रत्येक खातेदार के नाम सरकार द्वारा 13500 रूपये कृषि अनुदान के रूप खातो में जमा करवाये जा रहे है। दिनांक 06.02.2022 को देरासर में पटवारी साहब श्री रावताराम जी मिले तो मैने उससे कहा कि गांव में कई लोगों के खातों में 13500 रूपये आ गये है जबिक हमारे परिवार में हम आठ भाईयों व एक मेरी माता कुल 9 सदस्यों के एक रूपया भी जमा नहीं हुआ है व मैने कहा कि आपको आधार कार्ड व बैक डायरी की फोटो कॉपी लाकर दे देता हूँ। तो पटवारी श्री रावताराम जी ने कहा कि कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा और जो भी खर्चा होगा में आपको बता दूंगा। मैं मेरे जायज काम के लिए पटवारी साहब को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। मेरे भाईयों एवं मेरी माता ने मुझे कृषि अनुदान की राशि से सम्बन्धित काम करने हेतु कहा है। मेरे व मेरे परिवार की पटवारी से कोई रंजिश नहीं है और न ही कोई आपसी लेन—देन बकाया है।

श्रीमान से निवेदन है कि रिश्वत लेने वाले के खिलाफ कार्यवाही करे।

सही / -चुतराराम १७७४-२२ चुतराराम पुत्र सोनाराम निवासी बानो का तला मो न. 9602825487

एसडी मुकनदान सी.आई दिनांक 07.04.2022 एसडी राजूराम 08.04.2022 एसडी मोटाराम 08.04.2022

कार्यवाही पुलिस दिनांक 07.04.2022 वक्त 1.20 पी०एम०

इस समय परिवादी श्री चुतराराम पुत्र श्री सोनाराम उम्र 25 वर्ष निवासी बानो का तला हाथमा जिला बाडमेर ने टाईपशुदा रिपोर्टे ब्यूरो कॉर्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष इस आशय की पेश की कि " मै प्रार्थी चुतराराम पुत्र सोनाराम उम्र 25 वर्ष निवासी बानो का तला का रहने वाला हूँ हम आठ भाईयो एवं मेरी माता के नाम से ग्राम बानो का तला मे कृषि भूमि अलग अलग नाम से आई हुई है। इस वर्ष सरकार द्वारा अकाल घोषित किया गया है। जिसमें प्रत्येक खातेदार के नाम सरकार द्वारा 13500 रूपये कृषि अनुदान के रूप खातों में जमा करवाये जा रहे हैं। दिनांक 06.02.2022 को देरासर में पटवारी साहब श्री रावताराम जी मिले, तो मैने उससे कहा कि गांव में कई लोगों के खातों में 13500 रूपये आ गये हैं जबकि हमारे परिवार में हम आठ भाईयों व एक मेरी माता कुल 9 सदस्यों के एक रूपया भी जमा नहीं हुआ है व मैने कहा कि आपको आधार कार्ड व बैक डायरी की फोटो कॉपी लाकर दे देता हूँ। तो पटवारी श्री रावताराम जी ने कहा कि कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा और जो भी खर्चा होगा मै आपको बता दूंगा। मै मेरे जायज काम के लिए पटवारी साहब को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। मेरे भाईयों एवं मेरी माता ने मुझे कृषि अनुदान की राशि से सम्बन्धित काम करने हेतु कहा है। मेरे व मेरे परिवार की पटवारी से कोई रिज़िश नहीं है और न ही कोई आपसी लेन-देन बकाया है। श्रीमान से निवेदन है कि रिश्वत लेने वाले के खिलाफ कार्यवाही करे।" परिवादी चुतराराम ने दरियाफत पर बताया कि थोड़ी देर पहले ही श्री रावताराम पटवारी से फोन पर हुई वार्तालाप के अनुसार मुझे महावीर सर्किल बाडमेर से थोड़ी आगे शनिचर मन्दिर के पास बुलाया है। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सर्वक द्वारा

वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री बांकाराम कानि. 584 को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर परिवादी श्री चुत्राराम व श्री बांकाराम का आपस में परिचय करवाया गया तथा कार्यालय की अलमारी से डिज़िटल हेप निकालकर परिवादी को रिकोर्डर को चालू व बन्द कर वार्तालाप रिकॉर्ड करने की प्रकिया से भली माति समझाईश की गई। कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर श्री बांकाराम कानि० को सुपूर्व कर परिवादी श्री चुतराराम के साथ रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु परिवादी के कहे अनुसार महावीर सर्किल से आगे शनिचर मन्दिर रवाना कर श्री बांकाराम कानि. को हिदायत हुई की डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपूर्द कर परिवादी के साथ जाकर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आवें। तत्पश्चात रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु गये हुए श्री बांकाराम कानि. एवं परिवादी श्री चुतराराम कार्यालय हाजा में उपस्थित आए एवं श्री बांकाराम कानि0 ने कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत कर बताया कि चौकी हाजा से ही डिजिटल टेप रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपूर्व कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड करने हेतु परिवादी को अपनी मोटरसाईल से रवाना किया एवं में सरकारी मोटरसाईकिल से परिवादी के पीछें पीछे रवाना हुआ। परिवादी अपनी मोटरसाईकिल से महावीर सर्किल बाडमेर से थोड़ा आगे स्थित शनिचर मन्दिर के पास खड़ी एक गाड़ी के पास खड़े व्यक्ति के पास पहुचा एवं वार्तालाप करने लगा एवं मैं अपनी उपस्थिति छुपाए हुए उनसे कुछ ही दूरी खड़ा रहा। उक्त व्यक्ति परिवादी से वार्ता करते हुए परिवादी से कागजाज प्राप्त किये एवं पास ही खडी अपनी गाड़ी में बैठ कर रवाना हो गया। परिवादी भी मोटरसाईकिल से चौकी की तरफ रवाना हुआ और मैं भी परिवादी के पीछे पीछे रवाना हो गया। चौकी के आगे आकर परिवादी ने उवत व्यक्ति से हुई वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मुझे सुपूर्व किया, जिसे मेरे द्वारा स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी ने बताया कि मेरे पास आकर वार्ती करने वाला व्यक्ति श्री रावताराम पटवारी था। मेरी उनसे वार्ता हो गई है, जो मेरे द्वारा इस टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है। तत्पश्चात हम दोनो ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए है। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री चुतराराम से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप के सम्बंध में पूछने पर परिवादी ने बताया कि ब्यूरों कार्यालय के गेट पर ही श्री बांकाराम कानि. ने मुझे डिटिजल टेंप रिकॉर्डर ऑन कर श्री रावतारामें पटवारी से वार्ता करने हेतु सुपुर्द किया जिस पर मै अपनी मोटरसाईकल से रवाना होकर महावीर सर्किल से आगे शनिचर मन्दिर के खड़ी कार के पास खड़े पटवारी श्री रावताराम के पास पहुचा एवं मेरे पीछे पीछे अन्य मोटरसाईकिल से श्री बांकाराम कानि रवाना होकर मेरे से कुछ दूरी पर आकर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खडे रहे। श्री रावताराम पटवारी ने मेरे से मेरे व मेरे परिवार के आधार कार्ड व बैक डायरी की फोटो प्रतिया प्राप्त कर बताया कि पहले तो प्रत्येक के 500 रूपये लेते थे। प्रत्येक के 500-500 रूपये के हिसाब से 9 जनों के 4500 रूपये दे दो और ज्याद लेगे तो ज्यादा भी देने पड़ेगे। जिस पर मैने कहा कि मै तो आपके फोन करने पर सीधे ही हॉस्पीटल से आ गया हूँ। तब उन्होंने कहा कि शाम तक पेमेन्ट की व्यवस्था कर ले आना। इत्यादि वार्ता की है, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर को चालू कर सुनने पर परिवादी श्री चुतराराम द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हुई एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान श्री रावताराम पटवारी द्वारा परिवादी श्री चुतराराम को उसके एवं उसके 7 भाईयों एवं माता के नाम से कृर्षि आदान अनुदान राशि दिलवाने की एवज में प्रत्येक के 500 के हिसाब के कुल 9 ज़नों के 4500 रूपये रिश्वत की मांग करना पाया गया। परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मेरा भाई हॉस्पीटल में भर्ती है मैं कल सुबह तक श्री रावताराम को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि लेकर उपस्थित हो जाउंगा, जिस पर आगे की कार्यवाही दिनांक 08.04.2022 करने का निर्णय लेते हुए परिवादी को दिनांक 08.04.2022 को प्रातः 9 बजे तक रिश्वत में मांगी गई राशि लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिंदायत कर रवाना किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं के कब्जे में लिया गया। द्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाडमेर के नाम तेहरीर कमांक 660 दिनांक 07.04.2022 मूर्तिब कर स्वतंत्र गवाहान पाबंध करवाकर गवाहान को दिनांक 08.04.2022 को प्रातः 9.30 ए०एम० पर उपस्थित होने बाबत श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि. को रवाना किया गया। ताबाद श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि स्वतंत्र पाबंधं करने हेतु गया हुआ कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सानिवि वृत्त बाडमेर के पत्रांक 3190 दिनांक 07.04.2022 के द्वारा दो स्वतंत्र गवाह श्री राजूराम, हाल कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त बाडमेर, मोबाईल नम्बर 9680585353 एवं श्री मोटाराम, कनिष्ठ सहायक मोबाईल नम्बर 7023525925 को दिनांक 08.04.2022 को समय 9.30 ए०एम० पर ब्यूरो चौकी उपस्थित आने हेतु मामूर करवाकर उपस्थित आया।

दिनांक 08.04.2022 को परिवादी श्री चुतराराम मन् निरीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया एवं बताया कि पटवारीजी के बार बार फोन आ रहे है मैने अभी तक फोन उठाया नहीं है। मेरे पास रिश्वती राशि 4400 रूपये की ही व्यवस्था हुई है जो मैं लेकर उपस्थित आया हूँ। इतने में पूर्व पाबन्द सुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान भी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। सबक परिवादी मन् निरीक्षक पुलिस ने दोनो स्वतंत्र गवाहान को अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पूछने पर उन्होंने कमशः अपना परिचय श्री राजूराम पुत्र श्री पूनमाराम जाति विश्नोई उम्र 34 वर्ष निवासी गांव मौखातरा पुलिस थाना करडा जिला जालोर हाल कानेष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाइमेर मो.न. 9680585353 एवं श्री मोटाराम पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण उम्र 26 वर्ष निवासी एड छोटू (छोटू) पुलिस थाना गुडामालानी जिला बाडमेर हाल कनिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग डिविजन प्रथम बाडमेर मोबाईल नम्बर 7023525925 होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् निरीक्षक पुलिस के पास बैठे परिवादी श्री चुतराराम का परिचय करवाया गया एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड थी को चालू कर उपस्थित दोनी गवाहान को सुनाया गया। परिवादी की रिपोर्ट एवं वार्तालाप में सत्यापन से संबंधित अंशों को सुनने के पश्चात अपने स्तर पर दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान के रूबरू परिवादी श्री चुतराराम स्व. श्री सोना राम, जाति–जाट, उम्र–25 साल, निवासी बानी का तला, तहसील रामसर, पुलिस थाना ग्रामीण, जिला बाडमेर को आरोपी श्री रावताराम पटवारी पहुँवार मणुङ्ज देरासर, तहसील रामसर जिला बाड़मेर को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा ग्या तो परिवादी श्री चुतराराम ने पाँच सौ रुपये के आठ नोट एवं दो सौ रुपये के दो नोट कुल 4400 रुपये अपने पास से निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर फर्द में अंकित किये जाकर कार्यालय हाजा के मालखाना को श्री हनीफ हैड.कानि० से खुलवाया जाकर फिनोफथलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ लिपिक से उक्त 4400 रू के सभी नोटों को एक अख़ुबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादी श्री चुतराराम की जामा तलाशी गवाह श्री राजूराम कनिष्ठ अभियन्ता से लिवाई जिंकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री चुतराराम के पहने हुए पजामे की दाहिनी जेब में श्री सहदेव सिंह, कनिष्ठ लिपिक से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री चुतराराम को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुएँ आरोपी श्री रावताराम पटवारी के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी श्री चुतराराम को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर हाथ फैर कर या मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर या ब्यूरो के किसी अन्य स्टाफ के मोबाईल पर मिसकॉल / कॉल करके गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डीलकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री सहदेव सिंह कनिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होंना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गहरी गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बीनेट के मिश्रण की किया-प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली-भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया. जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी जाकर श्री सहदेव सिंह किनेष्ठ सहायक से मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिखाई जाकर कोई आपतिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो दल एव गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहाँ तक समव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनन का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक को कार्यालय हाजा में वास्ते निगरानी पीछे छोड़ा जाकर रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊंडर लगाने वाले श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय हाजा में छोड़ी

河 计自己交通 计模型操作系统

जाकर परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर चालू कर उसकी मोटरसाईकल से पुलिस लाईन रिथत आरोपी के सरकारी आवास की तरफ रवाना किया एवं उसकी पीछे—पीछे मन् निरीक्षक पुलिस, हमराह स्वतन्त्र गवाहान श्री राजूराम एवं श्री मोटाराम, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद हनीफ हैंड कानि:62, श्री मिश्रीमल कानि0 नं0 260, श्री बांकाराम कानि0 584, श्री लालाराम कानि: 328, श्री गजेन्द्रसिंह कानि:408 मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या आरजे 14 यूए 9364 एवं सरकारी मोटरसाईकल, निजी मोटरसाईकिलों से ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी बाड़मेर से परिवादी के बताये अनुसार आरोपी उसके पीछे—पीछे रवाना हुए।

दिनांक 08.04.2022 को समय 10.37 ए.एम. पर रुबरु स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री चतराराम ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा पटवारी के पुलिस लाईन बाड़मेर स्थित सरकारी आवास संख्या 126 के बाहर खड़े-खड़े अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल एवं स्वतंत्र गवाहान के पुलिस लाईन स्थित पटवारी के सरकारी आवास के बाहर सड़क पर पहुचा, जहाँ पर परिवादी श्री चुतराराम उपस्थित मिला, जिस पर परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच आफ कर केंद्री में लिया। परिवादी श्री चुतराराम ने पास ही खडे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह ही श्री रावताराम पटवारी देरासर है, जिसने अभी अभी मेरे से रिश्वत राशि मांग कर गिन कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे है, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय पत्र दिखाते हुए स्वयं एवं ट्रेप दल का परिचय बताते हुए सामने ही खड़े व्यक्ति को उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री रावताराम पुत्र श्री गजाराम जाति जाट उम्र 46 वर्ष पैशा नौकरी निवासी बेरीनाडी ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह तहसील गिड़ा वर्तमान निवासी सरकारी आवास नं0 126, रिजर्व पुलिस लाईन बाड़मेर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत गागरिया अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार मण्डल देरासर तहसील रामसर जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9079049764 होना बताया एवं बताया कि जक्त सरकारी आवास मेरी धर्मपत्नि श्रीमति रतनकंवर जो पुलिस विभाग में हैड कानि0 के पद पर पदस्थापित है, उसके नाम का है, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पास ही खड़े परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा की आप इन्हें पहचानते है एवं परिवादी से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है, जिस पर रुबरु गवाहान आरोपी श्री रावताराम ने बताया कि मेरे पास दिरासर पटवार मण्डल का अतिरिक्त चार्ज है, यह कल मेरे को शनि मंदिर महावीर सर्किल बाड़मेर के पास मिला था, उस समय मैं तहसील रामसर जा रहा था, इसने मुझे कृषि आदान अनुदान के लिए अपने एवं अपने परिवार के आधार कार्ड व बैक डायरी की फोटो प्रतिया दी थी। जो मैने तहसील रामसर में कल दे दिये, आज यह मेरे पास आया एवं मेरे से वार्ता की एवं जबरदस्ती मेरी पेन्ट की दाहिनी जेब में कुछ राशि डाल दी, राशि कितनी है, मुझे पता नहीं। मैने इससे किसी प्रकार की कोई रिश्वती राशि की मांग नहीं की न ही कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है, इसके द्वारा जबरदस्ती डाली गई उक्त राशि अभी भी मेरी जेब में पड़ी है, जिस पर पास ही खड़े परिवादी श्री चुतराराम ने स्वैच्छा से बताया कि पटवारीजी झूठ बोल रहे है, इन्होंने मेरे एवं मेरे परिवार के सदस्यों के नाम ग्राम बानी की तला कृषि अनुदान की राशि दिलवाने की एवज में रिश्वत की मांग की, जिस पर मेरे द्वारी एसीबी चौकी बाइमेर में उक्त पटवारी के खिलाफ कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं दिनाक 07.04.2022 को रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने पर पटवारीजी ने मेरे से 4500 रुपये रिश्वत की मांग की, जिस पर आज मेरे द्वारा पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4400रुपये की ही मेरे पास व्यवस्था होने से मैं एसीबी चौकी पहुचा पटवारी साहब द्वारा मुझे पुलिस लाईन बाडमेर स्थित सरकारी आवास नम्बर 126 पर पैसे लेकर बुलावाया हुआ था, जिस पर मैं पटवारीजी के कहे अनुसार रिश्वत राशि का देने हेतु गया एवं पुलिस लाईन में जाकर कॉल किया तो पटवारीजी अपने सरकारी क्वाटर के बाहर आ गयें, मैने उनसे कहा मैं अभी हॉस्पीटल से ही आया हूँ एवं मेरे पास 4400 रुपये है, मेरा काम हो जायेगा, कितने दो-तीन दिन लगेंगे, जिस पर उन्होंने कहा की हो जायेगा करीबन एक माह लगेगा, उन्होंने मेरे से रिश्वत राशि अपने हाथों से प्राप्त कर गिन कर अपनी पहेंनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे, जिस पर मेरे द्वारा मिसकॉल कर आपको ईशारा कर दिया। मेरे से प्राप्त की गई रिश्वती राशि अभी भी इनकी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखी हुई है, जिस् पर पटवारी से पुनः रिश्वती राशि बाबत पूछने पर वह असहज हो गया एवं बोलने लगा की मेरी सहायती करो मैने गलती कर दी। उक्त स्थान पुलिस लाईन बाड़मेर का आवासीय परिसर एवं असुरिक्षत होने से आरोपी के हाथ धोवन की कार्यवाही ब्यूरो चौकी बाड़मेर में किये जाने का निर्णय लिया जाकर आरोपी के दोनो हाथ कलाई के उपर से ब्यूरो स्टाफ श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि० एवं श्री बाँकारामें कानि० से पकड़वाये जाकर यथा स्थिति में ब्यूरो के सरकारी वाहन बोलेरो में बिठाया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ सरकारी वाहन एवं सरकारी मोटरसाईकल एवं परिवादी को अपनी मोटरसाईकल से ब्यूरो चौकी बाड़मेर पहुंचने हेतु निर्देशित किया जाकर उक्त स्थान से रवाना

होकर मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल के उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा ब्यूरो चौकी बाइमेर पहुचा एवं अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मन् निरीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में रुबरु गवाहान व परिवादी आरोपी श्री रावताराम भू-अभिलेख निरीक्षक की हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कांच की दो साफ गिलासों में ब्यूरो चौकी से ही साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त दोनों गिलासो में आधा-आधा साफ पानी भरकर दोनो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री रावताराम भू अभिलेख निरीक्षक के दांहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रिग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा—आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.—1 व आर.एच.—2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में श्री रावताराम भू-अभिलेख निरीक्षक के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे की डुंबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी हाजरीनों ने मटमेला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एलएच-1 व एल.एच-2 अंकित किया गया। आरोपी श्री रावताराम भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथ से लेकर अपने पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखी थी, जिस पर ट्रेप दल में स्वतंत्र गवाह श्री राजूराम किन्छ अभियन्ता से आरोपी श्री रावताराम भू—अभिलेख निरीक्षक की तलाशी लिखाई जाने पर उनके पहुंची हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में एक रुपयो का बण्डल होना पाया गया, जिसे श्री राजूराम किनिष्ठ अभियन्ता से निकलवाया जाकर उक्त नोट गिनवाये जाने पर पाँच-पाँच सौ रुपये के आठ नोट व दो-दो सी रुपये के दो नोट कुल 4400रुपये होना बताये, जिस पर उक्त नोटो का मिलान पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दर्गी से दूसरे गवाह श्री मोटाराम कनिष्ठ सहायक से करवाने पर गवाहान ने हुबहु नोट होना बताया, उक्त बरामदा रिश्वती राशि को एक कपड़े में सिल् चिट कर उस पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात रिश्वती राशि आरोपी के पहनी हुई हल्के काले भूरे रंग की पेन्ट की दाहिनी जेब से बरामद होने पर उसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कांच की एक अन्य साफ गिलास में ब्यूरो चौकी से ही पानी मंगवाया जाकर उकत पानी में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। आरोपी श्री रावताराम भू-अभिलेख निरीक्षक के पहनने हेतु उसके सरकारी आवास से पेन्ट मंगवाई जाकर पहनी हुई पेन्ट को खुलवाकर दूसरी पेन्ट पहनाई जाकर उक्त खुलवाई गई पेन्ट की दाहिनी जेब को उल्ट कर उक्त गिलास के रंगहीन घोल में डुबोकर निचोड़ कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को भी पूर्ववत् की तरह कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया एवं उक्त पेन्ट की सुखुकिर पेन्ट की दाहिनी जेब में सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में डालकर उसकी सील चीट कर मार्क-पी अंकित कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात श्री राजूराम कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा श्री रावताराम भू-अभिलेख निरीक्षक की जामा तलाशी में पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब में आरोपी स्वयं एवं अपनी धर्मपत्नि के नाम का आधार कार्ड एवं पेन कार्ड एवं एक नीले कलर का टैक्नो कम्पनी का मोबाईल जिसमें आरोपी ने सीम नम्बर 9079049764 व 9413755960 होना बताया एवं पहने हुए शर्ट की उपरी जेब में कुल 2050रुपये होना पार्टी गये, जिस पर रुबरु गवाहान आरोपी को उक्त मोबाईल व राशि 2050रुपये के सम्बंध में पूछने पर उक्त मोबाईल स्वयं का होना एवं उक्त राशि स्वयं के खर्चे की राशि होना बताया, जिस पर आरोपी का स्पष्टीकरण मानने योग्य होने से उक्त मोबाईल को स्वीच ऑफ कर उसको पुनः सुपूर्द किया गया एवं उक्त राशि एवं आधार कार्ड व पेन कार्ड को भी आरोपी को सुपूर्व किया गया। आरोपी को परिवादी एवं उसके परिवार के सदस्यों के कृषि अनुदान से सम्बंधित बैंक डायरी एवं आधार कार्ड की प्रतियों के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि उक्त दस्तोवजात श्री चुतराराम ने मुझे कल दिये थे, जो मैने कल ही तहसील रामसर में दे दिये, ऑनलाईन नहीं किये है, जो किये जाने बाकी है, जिसा पर आरोपी को तहसील में किसे सुपूर्व किये बाबत पूछने पर बताया कि मैने तहसील में उखे हैं, उक्त कार्यवाही की फर्द ब्यूरो चौकी में कार्यालय के कम्प्यूटर से टंकण की जाकर फर्द पर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री चुतराराम एवं आरोपी श्री रावताराम भू—अभिलेख निरीक्षक वृत गागरिया अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार मण्डल देरासर तहसील रामसर जिला बाडमेर के मध्य दिनांक 07.04.2022 को रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्वावास्त्राम

कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्किप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयाँ श्री बांकाराम कानि० से तैयार करवाई जाकर एक सी0डी0 को मूल मानते हुये कपड़ो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री रावताराम भू—अभिलेख की आवाज की पहचान एवं स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री चुत्रांशीम द्वारा की गई। ताबाद दस्तयाब सुदा आरोपी श्री रावताराम भू—अभिलेख निरीक्षक का कोविड 19 हेस्ट करवाने हेतु श्री मोहम्मद हनीफ हैड़ कानि०, श्री लालाराम कानि०, श्री मिश्रीमल कानि० मुँग आरोपी श्री रावताराम भू-अभिलेख निरीक्षक के सरकारी वाहन के राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर की रवाना किया गया, जो उपरोक्त फिकरा के ब्यूरो स्टाफ दस्तयाब सुदा आरोपी श्री रावताराम भू अभिलीख निरीक्षक के ब्यूरो चौकी बाड़मेर पर उपस्थित आए एवं बताया कि आरोपी का कोविड 19 टेस्ट करवाकर उपस्थित आए है, कोविड19 टेस्ट रिपोर्ट पृथक से प्राप्त होगी। ट्रेप कार्यावाही विरुद्ध श्री रावृताराम भू अभिलेख निरीक्षक में घटनास्थल नक्शा मौका मूर्तिब करने एवं रहवासीय आवास की खाना तलाशी मूर्तिब करने हेतु मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाह, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद् हनीफ हैड कानि0, श्री गजेन्द्रसिंह कानि0, श्री लालाराम कानि0 दस्तयाब सुदा आरोपी श्री रावताराम भू अभिलेख निरीक्षक एवं परिवादी श्री चुतराराम मय मोटरसाईकल के पुलिस लाईन बाडमेर स्थित सरकारी आवास संख्या 126 को रवाना होकर उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल के आरोपी श्री रावताराम भू-अभिलेख निरीक्षक के पुलिस लाईन बाड़मेर स्थित सरकारी आवास संख्या 126 पर पहुच परिवादी श्री चुतराराम की निशादेही प्र नक्शा मौका मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया एवं परिवादी श्री चुतराराम को उसकी मोटरसाईकल से ब्यूरो चौकी बाईमेर पहुचने हेतु हिदायत हुई। ताबाद मन् निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के रुबरु आरोपी श्री रावताराम भू अभिलेख निरीक्षक के पुलिस लाईन बाड़मेर स्थित सरकारी आवास संख्या 126 की खाना तलाशी मूर्तिब कर शामिल पत्रावली कर मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल के ब्यूरी चौकी बाड़मेर के लिए रवाना होकर मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ती मय सरकारी वाहन के ब्यूरो चौकी बाड़मेर पहुंचा। ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री चुतराराम एवं आरोपी श्री रावताराम भू अभिलेख निरीक्षक वृत गागरिया अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार मण्डल देरासर तहसील रामसर जिला बाडमेर के मध्य दिनांक 08.04.2022 को रुबरु हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्किप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडीयाँ श्री बांकाराम कानि० से तैयार करवाड़ी जाकेर एक सी०डी० को मूल मानते हुये कपडो की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणी के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री रावताराम भू—अभिलेख की आवाज की पहचान एवं स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री चुत्रारीम द्वारा की गुई। प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से श्री रावताराम पुत्र श्री गजाराम जाति जीट उम्र 46 वर्ष पैशा नौकरी निवासी बेरीनाडी ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह तहसील गिड़ा वर्तमान निवासी सरकारी आवास नं0 126, रिजर्व पुलिस लाईन बाडमेर हाल भू—अभिलेख निरीक्षक वृत गागरिया अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार मण्डल देरासर तहसील रामसर जिला बाड़मेर मोबाईल नम्बर 9079049764 के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधनी) अधिनियम 2018 का कारित किया जाने से उसे उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानी के तहत जिरये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार भानेज श्री राजेन्द्र चौधरी को दी गई।

तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में रिश्वती राशि मांग सत्यापान वार्तालाप एवं रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप की एक-एक मूल सी०डी० शील्ड शुदा एवं एक-एक डब सी०डी० खुँली एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त रिश्वती राशि 4400रू0 शील्ड चिटयुक्त, धोवन की शीशिया मार्क आरएच-01 व आरएच-02, एलएच-01 व एलएच-02, पी-01 व पी-02, पेन्ट का सील्ड सुदा पैकेट मार्क पी, इत्यादि मालखाना आईटम्स श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि० को सुपूर्द कर सुरक्षित जमा मालखाना करवाये गये एवं ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान श्री राजूराम कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री मोटाराम कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री चुतराराम की आवश्यकता नहीं होने से दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री चुतराराम को उसकी मोटरसाईकल से रुखस्त दी गई। गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री रावताराम भू—अभिलेख निरीक्षक का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर के नाम तेहरीर मुर्तिब कर श्री सांवरमल कानि0, बांकांग्रम कानि0 श्री,

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मुकनदान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में अभियुक्त श्री रावताराम, भू-अभिलेख निरीक्षक, वृत्त गागरिया अतिरिक्त चार्ज पटवारी, मण्डल देरासर हाथमा तहसील रामसर जिला बाड़मेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 125/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1106-10 दिनांक 09.04.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
- 🕦 2 अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
 - 3. जिला कलक्टर, बाड्मेर।
 - 4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
- 🕳 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड्मेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। लालाराम कानि० मय आरोपी श्री रावताराम भू—अभिलेख निरीक्षक के जरिये सरकारी वाहन स्वास्थ्य परीक्षण करवाने रवाना किया।

इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री चुतराराम द्वारा दिनांक 107. 04.2022 को ब्यूरो चौकी बाड़मेर में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि हम आठ भाईयो एवं मेरी माता के नाम से ग्राम बानो का तला में कृषि भूमि अलग अलग नाम से आई हुई है। इस वर्ष सरकार द्वारा अकाल घोषित किया गया है। जिसमे प्रत्येक खातेदार के नाम सरकार द्वारा 13500 रूपये कृषि अनुदान के रूप खातों में जमा करवाये जा रहे है। दिनांक 06.04.2022 को देरासर मे पटवारी साहब श्री रावताराम जी मिले तो मैने उससे कहा कि गांव मे कई लोगों के खातो मे 13500 रूपये आ गये है जबकि हमारे परिवार में हम आठ भाईयों व एक मेरी माता कुल 9 सदस्यों के एक रूपया भी जमा नहीं हुआ है व मैने कहा कि आपको आधार कार्ड व बैक डायरी की फोटी कॉपी लाकर दे देता हूँ। तो पटवारी श्री रावताराम जी ने कहा कि कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा और जो भी खर्चा होगा मैं आपको बता दूंगा। मैं मेरे जायज काम के लिए पटवारी साहब की रिश्वेत नहीं देना चाहता हूँ। मेरे व मेरे परिवार की पटवारी से कोई रंजिश नहीं है और न ही कोई आपसी लेन-देन बकाया है। परिवादी की रिपोर्ट पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। गोपनीय सत्यापन से आरोपी श्री रावताराम पटवारी द्वारा परिवादी से प्रत्येक नाम के 500 रूपये के हिसाब से 4500 रूपये रिश्वत की मांग की। जिस पर स्वतंत्र गवाहान तलब कर दिनांक 08.04.2022 ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी पटवारी श्री रावताराम ने परिवादी से रिश्वती राशि 4400 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेंब में रखें जहा से रिश्वती राशि रूबरू गवाहान के बरामद की गई। आरोपी श्री रावताराम भू-अभिलेख निरीक्षक वृत गागरिया अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार मण्डल देरासर तहसील रामसर जिला बाड़मेर को उसके द्वारा किये गये अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से उसे गिरफ्तार किया गया।

अतः आरोपी श्री रावताराम पुत्र श्री गजाराम जाति जाट उम्र 46 वर्ष पैशा नौकरी निवासी बेरीनाडी ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह तहसील गिड़ा वर्तमान निवासी सरकारी आवास निवासी 126, रिजर्व पुलिस लाईन बाड़मेर हाल भू—अभिलेख निरीक्षक वृत गागरिया अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार मण्डल देरासर तहसील रामसर जिला बाड़मेर के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे।

भवदीय, (**मुकनदान**), निरीक्षक, पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर

THE WALL